



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271307
CG-DL-E-27032026-271307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948

No. 1499]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

का.आ. 1564(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 303(ई), दिनांक 20.01.2026 में उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माण (चौड़ीकरण/फोर-लेनिंग आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के किमी 18.5 से किमी 41.532 तक भूमि के खंड के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अब "किमी 41.532" के स्थान पर "किमी 51.580 तक" प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्य अधिसूचना संख्या का.वा. 303(ई) दिनांक 20.01.2026 की अनुसूची में, सीरियल नंबर के सामने 1, 2, 3 तथा कॉलम-2 में "उप जिलाधिकारी" प्रविष्टि के स्थान पर "अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 2122/3a Corr]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 24th March, 2026

S.O. 1564(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 303 (E) dated 20.01.2026 in respect of the stretch of land from Km. 18.5. to Km. 41.532 of the NH24 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

Now, in place of “to km 41.532”, shall be substituted as “to km 51.580”. Further, In the schedule to the principal notification number S.O. 303(E) dated 20.01.2026, against serial no. 1,2,3 & in column 2 for the entry "SDM" the entry "ADM (F/R)" shall be substituted.

[F. No. 2122/3a Corr]

SHAIKH AMINKHAN, Director